फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थी / वादी — **अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण**

लिछमण — **बनाम** — **रामेश्वरलाल वगैरह**

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र — मुकदमा नं. 031 / 2023

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
15.05.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 212 आरटीएक्ट के तहत दिनांक 09.03.2022 से न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी को पूर्व में अनेक अवसर एवं दिनांक 05.05.2026 को हिदायत के साथ अन्तिम अवसर प्रदत्त किये गये है। परन्तु वकील प्रार्थी ने प्रकरण हाजा में आदिनांक तक रजिस्र्ड सम्मन तामील हेतु पेश नहीं किये। तथा ना ही साबिका आदेश की पालना में आज दिनांक को सम्मन तलबाना पेश किये। चूंकि प्रकरण हाजा सम्मरी प्रोसेडिंग का है, जिनके निस्तारण के लिए समय सीमा 3 माह की अवधि निर्धारित है। अतः प्रार्थी अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बावजूद पर्याप्त अवसर अप्रार्थीगण की तामील किये जाने हेतु दिये जाने पर भी तलबी नहीं कराने एवं न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश–9 नियम–5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	